International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 6, June - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

खाप पंचायतों का भाई–चारे का सिद्धांत एवं वैवाहिक प्रतिबंध

यजुवेन्द्र गिरी
शोधार्थी, इतिहास विभाग
शम्भु दयाल (पी०जी०) कॉलेज, गाजियाबाद

सारांश

खाप पंचायतें आजकल हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन कराने की मांग को लेकर चर्चा में है। खाप पंचायतें हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन कराके सगोत्र तथा ग्रामीण भाई–चारे के गाँवों में आपसी विवाह पर प्रतिबन्ध लगवाना चाहती है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार, सम्मान के लिये किये गये अपराधों में मात्र 3% ही सगोत्र विवाह से सम्बन्धित थे। जबकि 97% मामलों का सम्बन्ध अर्न्तजातीय विवाह तथा अन्य प्रकार के विवाहों था। इससे स्पष्ट है कि सगोत्र विवाह प्रतिबंध तो मात्र एक बहाना है। वास्तव में इस मुद्दे के माध्यम से खाप पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में अपना परम्परागत सामन्ती प्रभाव बनाये रखना चाहती हैं। यह सच है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में खाप पंचायतों को एक दबाव समूह की तरह अपनी मांग रखने, उन्हें मनवाने तथा अपने प्रभाव को बनाये रखने का पूरा अधिकार है। परन्तु उसका यह तरीका भी शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक होना चाहिये। न कि वे अपना प्रभाव बनाये रखने के लिये सामान्तर कोर्ट चलाये, साथ ही उन्हें ऐसा माहौल भी नहीं बनाना चाहिये कि प्रेम–विवाह करने वाले जोड़ों को लोग मार डालें। इस शोध–पत्र में खाप पंचायतों के भाई–चारा सिद्धांत व सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध की मांग को लेकर घटनाओं व तथ्यों की विवेचना की गयी है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 6, June - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

शोध–पत्र

खाप पंचायतें अपने सकारात्मक व नकारात्मक निर्णयों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। वर्तमान में उनके चर्चा में रहने का कारण सगोत्रीय विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिये हिन्दू विवाह अधिनियम–1955 में संशोधन की मांग को लेकर है।[1] खाप के नेताओं ने सगोत्र विवाह को लेकर इस तरह हाय–तौबा मचाई हुई है, जैसे कि सगोत्र विवाह एक गम्भीर समस्या बन गयी हो। जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार सम्मान के लिये किये गये 326 अपराधों में से मात्र 3% मामले ही सगोत्र विवाह से सम्बन्धित थे, 72% का संबंध अंर्तजातीय विवाह से था। 15% मामले अपनी जाति के थे, 01% मामलों का सम्बन्ध अंतरधर्मीय विवाह से था।[2] अतः महिला आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि मात्र 3% विवाह सगोत्र हुये थे, जबकि 97% का सम्बन्ध विभिन्न गोत्रों में हुये विवाह स था।

यह सही है कि आज खापों का पहले जैसा दबदबा नहीं है, लेकिन इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि खापों की उत्तर–भारत के राजनीतिक व सामाजिक जीवन में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका है। खापों की इस भूमिका का आधार सगोत्रीय तथा असगोत्रीय भाई–चारा का सिद्धांत है, जिसका आधार भूमि है।[3] खापों का यह गोत्रीय भाई–चारा केवल एक गोत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गाँव या उससे सटे अन्य गाँवों के सभी लोग भी इसके अन्तर्गत आते हैं। भले ही वे अन्य गोत्र, जाति या धर्म के ही क्यों ना हो। इस नाते कथित क्षेत्र (गोत्रीय भाई–चारा का क्षेत्र) के सारे युवक व युवती आपस में भाई–बहन हो जाते हैं, भले ही उनका गोत्र, जाति व धर्म कुछ भी हो। इस नाते से वे एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के शारीरिक सम्बन्ध को परिवार के सदस्य के साथ अनाचार (Incest) माना जाता है। खाप के इस सगोत्रीय तथा असगोत्रीय भाई–चारे को निम्न उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है–

अभिषेक तथा संगीता का मामला:–

बागपत जिले के दादरी गाँव के अभिषेक डबास पुत्र विरेन्द्र डबास का विवाह ग्राम जोहड़ी निवासी संगीता तोमर पुत्री यशपाल तोमर के साथ हुआ। यह विवाह दोनों परिवार की सहमति से हुआ। दोनों के गाँव व गोत्र भी अलग थे तथा दोनों का सम्बन्ध एक ही जाति जाट से था। परन्तु दादरी व जोहड़ी देशखाप के

[1] हिन्दुस्तान, मेरठ, 13 जनवरी, 2013
[2] द टाईम्स ऑफ इण्डिया, चण्डीगढ़, 7 जुलाई, 2010
[3] प्रधान, डॉ० एम०सी०, उत्तर–भारत के जाये की शासन व्यवस्था, अनुवादक जयचन्द शास्त्री, प्रकाशक अखिल भारतीय जाट महासभा, नई दिल्ली, 1990, पृ० 25, 26

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 6, June - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भाई–चारे के अन्तर्गत आने वाले गाँव थे। चूँकि भाई–चारे के अन्तर्गत आने वाले सभी युवक व युवतियाँ आपस में भाई–बहन होते हैं। ऐसी स्थिति में गोत्रीय भाई–चारे के कारण यह विवाह अनुचित था। अतः इस विवाह के विरोध में देशखाप के मुखिया चौधरी सुरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में बिजरौल में देशखाप की महापंचायत हुई, जिसमें भाई–चारे के गाँव में विवाह को अवैध माना गया तथा दोनों परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय पंचायत द्वारा लिया गया। इस सम्बन्ध में बिजरौल गाँव के एक ग्रामीण बीरबल सिंह का कहना था कि– *"भाई–चारे के गाँव में शादी करना सामाजिक अपराध तो है ही साथ ही पाप भी है। भाई–चारे के गाँव के सारे युवक व युवतियाँ आपस में भाई–बहन के रूप में रहते हैं। आज जोहड़ी व दादरी के इन परिवारों ने लक्ष्मण रेखा को पार किया है, कल कोई और करेगा। ऐसे में दोनों परिवारों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये।"*[4]

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि खाप पंचायतों द्वारा यथास्थिति व परम्परा को बनाये रखने के लिये किस प्रकार से नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप करके उसे प्रभावित करने की कोशिश की जाती है।

वेदपाल एवं सोनिया का मामलाः–

कैथल जिले के मटौर गाँव का 23 वर्षीय वेदपाल जिसका सम्बन्ध मौंण गोत्र से था, जीद जिले के सिगवाल में अपना छोटा सा क्लीनिक चलाता था। सिगवाल गाँव की ही बनवाला गोत्र की एक लड़की सोनिया से उसे प्रेम हो गया।

एक दिन वे दोनों घर से गायब हो गये और उन्होंने शादी कर ली। यह दोनों व्यस्कों द्वारा सहमति से किया गया विवाह था। दोनों का सम्बन्ध भिन्न गोत्रों, भिन्न गाँवों, भिन्न खापों तथा भिन्न जिलों से था। फिर भी वेदपाल को आशंका थी कि सिगवाल के बनवाला लोग इस विवाह को अपनी स्वीकृति कदापि नहीं देंगे, क्योंकि मटौर व सिगवाल दो पड़ौसी गाँव हैं। खाप परम्परा के अनुसार जिन गाँवों की सीमा आपस में मिलती है उनके रहने वाले एक ही कुनबे के होते हैं। चाहे उनका सम्बन्ध अलग–अलग गोत्रों से हो। ऐसी स्थिति में गोत्रीय भाई–चारे का सिद्धांत लागू होता है, जिसके अनुसार वेदपाल व सोनिया आपस में भाई–बहन बन जाते हैं। अतः इस विवाह के विरोध में 19 मार्च, 2009 को खाप पंचायत की बैठक हुई, जिसमें उनक विवाह को परम्परा का घोर उल्लंघन माना गया। पंचायत के मुखिया परमजीत बनवाला ने कहा, *"अगर युवा हमारे समाज में रहते हैं*

[4] दैनिक जागरण, मेरठ, 17.02.2005

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 6, June - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

तो उन्हें हमारी परम्पराओं का पालन करना होगा। इस प्रकार के सम्बन्ध को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जाट सम्मान श्रेष्ठ है व उसे हर कीमत पर बनाए रखा जायेगा।"

खाप पंचायत के इस विरोध के बाद अपनी जान बचाने के लिये वेदपाल एवं सोनिया भूमिगत हो गये। सोनिया के माता–पिता ने वेदपाल के परिजनों से आग्रह किया कि कुछ दिनों के लिये उनकी बेटी को उनके घर भेज दिया जाये। सोनिया अपने मायके तो आ गयी, लेकिन फिर कभी ससुराल वापिस नहीं जा सकी। जब 10 दिनों तक सोनिया का कोई पता नहीं चला तो वेदपाल ने अदालत की शरण ली। पंजाब व हरियाणा कोर्ट ने वेदपाल को अपनी पत्नी वापस लाने के लिये चार पुलिस कर्मी व एक कचहरी के कर्मचारी के साथ भेजा। यह सब 22 जुलाई, 2009 को सोनिया के गाँव पहुँचे। सोनिया का कहीं कुछ पता न था। अचानक लगभग 100 हथियार बंद ग्रामीणों ने वेदपाल को घेरने का प्रयास किया। वह भाग कर एक मकान में जा कर छुप गया। फिर भी इसे दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया व सबके सामने उसके गले में रस्सी डालकर लटका दिया गया और वह मर गया। चारों पुलिसकर्मी भाग गये। यह सब कुछ कचहरी के कर्मचारी के सामने हुआ।[5]

इन घटनाओं से जहां खाप पंचायतों की अपने निर्णयों को लागू करने के संदर्भ में बर्बरता जाहिर होती है, वही यह भी मालूम होता है कि विभिन्न जातियों विशेषकर जाटों में खाप का प्रभाव अब भी कितना जबरदस्त है।

27 मार्च, 2018 को मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए०एम० खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी०वाई० चन्द्रचूड़ से मिलकर बनी सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने गैर–सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी द्वारा 2010 में दायर याचिका पर सुनाये गये फैसले में खाप पंचायतों पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही न्यायालय ने स्वेच्छा से अंतर–जातीय व अन्तर–आस्था विवाह करने वाले व्यस्कों के मामले में खाप पंचायत जैसे गैर–कानूनी संगठनों के दखल पर पाबंदी लगा दी।[6]

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से असहमति व्यक्त करते हुये खाप पंचायतों के चौधरियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल करने का फैसला किया। थंबा खाप अध्यक्ष (बागपत) यशपाल चौधरी ने कहा कि, *"हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हैं। वेदों के मुताबिक सगोत्र विवाह की इजाजत नहीं है। हम इस*

[5] News18.com, 23 July, 2009
[6] जनसत्ता, नई दिल्ली, 27.03.2018

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 6, June - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पर भरोसा करते हैं, यह समाज के लिये नुकसान दायक है। खाप इसे होने ही नहीं देगी। एक गाँव में रहने वाले लोग भाई–बहन की तरह होते हैं। ऐसे में वे कैसे पति–पत्नी की तरह रह सकते हैं।"[7]

सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध का समर्थन करते हुये खाप चौधरी तो अब विज्ञान के तर्क प्रस्तुत करने लगे हैं। देश खाप के मुखिया सुरेन्द्र चौधरी के अनुसार, *"सगोत्रीय विवाह अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य के लिये नुकसान दायक है। इससे आनुवांशिक रोगों के संचरण का खतरा बना रहता है। इससे आनुवांशिक विकार बढ़ते हैं।"*[8] यद्यपि उनका यह तर्क आनुवांशिकी के निमयों के अनुसार तो उचित ही जान पड़ता है, परन्तु खाप पंचायतों की जो मांग है, जिसके लिये वो हिन्दू–विवाह अधिनियम–1955 में संशोधन करना चाहती है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि– पहला, तो यह कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार सम्मान के लिये किये गये 326 अपराधों में से मात्र 3% मामले ही सगोत्र विवाह से सम्बन्धित थे। 97% का सम्बन्ध अन्य मामलों से था।

दूसरा, गोत्र मात्र एक सामाजिक संरचना है।[9] आज के युग में रक्त शुद्धता की बात करना नितांत तर्कहीन तथा अवैज्ञानिक है। प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न नस्लों के लोग आये यथा– यूनानी, शक, पहल्व, कुषाण, हूण, तुर्क, मुगल, अफगान आदि। महत्वपूर्ण तो यह है कि स्वयं आर्य भी बाहर से आये थे। ऐसी स्थिति में स्थानीय जनता के साथ इन जातियों का मिश्रण हुआ होगा। ऐसी स्थिति में किसी समुदाय या जाति में रक्त की शुद्धता की बात करना मूर्खतापूर्ण है।

वैवाहिक सम्बन्धों को लेकर जिन लोगों के विचार खापों से भिन्न है। उनकी आलोचना करते हुये खाप समर्थक कहते हैं, कि ये लोग भाई–बहनों की परस्पर शादी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है कि गाँव की बहन या बेटी अपने ही गाँव में बहु बनकर रहने लगे। देखा जाये तो खाप समर्थकों का यह तर्क बेबुनियाद है, क्योंकि यह किसी व्यस्क स्त्री या पुरुष का निजी मौलिक अधिकार है कि इसे किससे विवाह करना है या किससे नहीं करना है। साथ ही खाप पंचायतों का भी यह लोकतांत्रिक अधिकार है कि वे विवाहों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध लगवाने के लिये तथा हिन्दू विवाह अधिनियम–1955 में संशोधन कराने के लिये शांतिपूर्ण तरीके से मांग करें। खापों को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिये जो आधुनिक सभ्य व लोकतांत्रिक समाज में अव्यवहारिक है। खाप पंचायतों को ऐसा माहौल भी नहीं बनाना चाहिये, जिससे प्रेम–विवाह करने वाले

[7] अमर उजाला, मेरठ, 28.03.2018
[8] जनवरी, बागपत, 14.01.2013
[9] चौधरी, डी०आर०, खाप पंचायतों की प्रासंगिकता, अनुवादक कुमार, मुकेश, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 2012, पृ० 37

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 6, June - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

जोड़ों को लोग मार डालें। इस तरह की तानाशाही मौलिक अधिकारों के विरूद्ध है। इससे कानून का उल्लंघन होता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 6, June - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सन्दर्भ

- *श्रीवास्तव के०सी०, "प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति", यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, 2002*
- *सिंह कबूल, "इतिहास सर्वखाप पंचायत", पहला भाग, अजय प्रिंटिंग प्रेस, मुजफ्फरनगर, 1976*
- *बालियान विरेन्द्र, "भारतीय क्षत्रिय जाट इतिहास", शारदा पब्लिकेशन, मेरठ, 2004*
- *आर्य निहाल सिंह, "सर्वखाप पंचायत का राष्ट्रीय पराक्रम", सैनी प्रिन्टर्स, दिल्ली, 1991*
- *प्रधान एम०सी०, "उत्तर–भारत में जाटों की शासन व्यवस्था" (अनुवादक जयचन्द शास्त्री), प्रकाशक अखिल भारतीय जाट महासभा, नई दिल्ली, 1990*
- *चौधरी डी०आर०, "खाप पंचायतों की प्रासंगिकता" (अनुवादक मुकेश कुमार), नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, 2012*
- *वर्मा हरिशचन्द्र, "मध्य कालीन भारत", हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2014*
- *थापर रोमिला, "ए हिस्ट्री ऑफ इण्डिया", भाग–एक, पेंगुइन बुक्स, 1984*
- *चन्द्र सतीश, "मध्यकालीन भारत", हर आनन्द पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1973*
- *ग्रोवर बी०एल०, "आधुनिक भारत का इतिहास", एस० चन्द, नई दिल्ली, 2006*
- *ताराचन्द, "भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास", सूचना प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, 1996*
- *चन्द विपिन, "भारत का स्वाधीनता संघर्ष", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली, 1990*
- *एन.सी.ई.आर.टी., आधुनिक भारत, 2004*
- *मजूमदार आर०सी०, "चौधरी हेमचन्द्र राय", मद्रास, 1990*

समाचार–पत्र एवं पत्रिकाऐं

- *खाप रजिस्टर, सिसौली, मुजफ्फरनगर*
- *हिन्दुस्तान, मेरठ, 10 सितम्बर, 2007*
- *हिन्दुस्तान, मेरठ, 13 जनवरी, 2013*
- *जनवाणी, बागपत, 14 जनवरी, 2013*
- *द टाईम्स ऑफ इण्डिया, चण्डीगढ़, 7 जुलाई, 2010*
- *दैनिक जागरण, मेरठ, 17 फरवरी, 2005*
- *news18.com, 27 March, 2018*
- *अमर उजाला, मेरठ, 28 मार्च, 2018*